

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा (म0प्र0)

// विविध-आदेश //

(कार्य-विभाजन में संशोधन क्र0-13)


क्रमांक.....59 /
दो-1-1/2000

रीवा, दिनांक 08/04/2024

माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर के आदेशानुसार श्री योगराज उपाध्याय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश त्योंथर का स्थानांतरण अन्य जिला स्थापना पर होने तथा उनके स्थान पर श्री दयाराम कुमारे, जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश त्योंथर की पदस्थापना होने के फलस्वरूप मध्यप्रदेश व्यवहार न्यायालय अधिनियम 1958 की धारा-15 व 21 (4) तथा मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय (संशोधन) अधिनियम 2011 के परिप्रेक्ष्य में एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-10 की उपधारा-2 एवं 3 के अंतर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये पूर्व में प्रसारित सिविल एवं आपराधिक कार्य विभाजन आदेश क्रमांक 216/दो-1-1/2000 दिनांक 17.05.2023 को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है, यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा :-

01. सरल क्रमांक 19 के स्तम्भ क्रमांक 2 में लिखी इबारत श्री योगराज उपाध्याय, जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश त्योंथर को विलोपित करते हुये उसके स्थान पर श्री दयाराम कुमारे, जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश त्योंथर को जोड़ा जाता है।

शेष आदेश यथावत रहेगा।


(सुबोध कुमार जैन)

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रीवा (म0प्र0)


पृष्ठांकन क्रमांक.....1812 /
दो-1-1/2000

रीवा, दिनांक 08/04/2024

प्रतिलिपि:-

1. सिविल जिला रीवा की समस्त न्यायालय रीवा।
2. अध्यक्ष, अधिवक्ता संघ रीवा/त्योंथर।
3. प्रस्तुतकार, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीवा म0प्र0।
4. फाईलिंग काउंटर, रीवा।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रीवा (म0प्र0)